फैक्स / मेल

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail - eicpwduk@nic.in

पत्रांक 108 / 04(01)कैम्प–प्र0अ0–ए0सी0आर0 / 2016 देहरादून, दिनांक 13 जून, 2016

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता (सिविल / रा0मा0 / पी0एम0यू0 (ए0डी0बी0),
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड।

विषय :– वर्ष 2015–2016 की वार्षिक गोपनीय आख्या में प्रविष्टि के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक में इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करें। स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि अधीनस्थ समस्त कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय आख्या में यथासमय प्रविष्टियां पूर्ण कर ली जाय।

अतः पुनः निम्नवत् निर्दिष्ट किया जाता है :–

1. अधिशासी अभियन्ता अपने अधीनस्थ समस्त कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय आख्या में 30 जून, 2016 तक अवश्य प्रविष्टि कर सक्षम अधिकारी को प्रेषित करें। यदि किसी कार्मिक द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो शासनादेश के अनुसार सम्बन्धित कार्मिक का फारमेट प्रतिवेदक अधिकारी स्वयं भरकर कारण सहित उक्त तिथि तक ही पूर्ण कर सक्षम अधिकारी को प्रेषित करें। इस हेतु सम्बन्धित कार्मिक से फारमेट की प्रतीक्षा कदापि न की जाय।
2. अधीक्षण अभियन्ता समस्त अधिशासी अभियन्ता / सहायक अभियन्ताओं व अन्य कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि दिनांक 15 जुलाई तक उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित तिथि तक सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित करेगें।
3. मुख्य अभियन्ता समस्त अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी / सहायक अभियन्ताओं व अन्य कार्मिकों की प्रविष्टि दिनांक 30 जुलाई तक उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए निर्धारित तिथि तक सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित करेगें।
4. मुख्य अभियन्ता अपनी स्वयं की वार्षिक गोपनीय प्रपत्र भरकर दिनांक 10 अगस्त तक इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें।

अतः उक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(एच0के0 उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य अभियन्ता स्तर–। (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय।
2. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर–। / ।।, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, (सिविल / रा0मा0 / पी0एम0यू0 (ए0डी0बी0), लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, (सिविल / रा0मा0 / पी0एम0यू0(ए0डी0बी0), लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी–। / ।।, विभागाध्यक्ष कार्यालय।

13/6/16

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग।